(1)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP81298390171091Y

Signature
ACC Name-ALOK KUMAR
ACC Code-UP14889404
ACC Address-GOVINDNAGAR
Mobile-9519075545 License No.121
Teshil-KULPAHAR District-MAHOBA

IV 7/26

Certificate No.	:	IN-UP81298390171091Y
Certificate Issued Date	:	30-Mar-2026 10:30 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14889404/ KULPAHAR/ UP-MHB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14889404576457O3366583Y
Purchased by	:	ANUJ KUMAR AGRAWAL SO ASHOK KUMAR
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	DECLARATION OF TRUST AS PER DEED
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BAL BHOJAN SEVA TRUST
Second Party	:	ANUJ KUMAR AGRAWAL SO ASHOK KUMAR
Stamp Duty Paid By	:	ANUJ KUMAR AGRAWAL SO ASHOK KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

E-Stamp Locked

Please write or type below this line

Anuj

PF 0000626319

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

न्यास पत्र

यह विलेख आज श्री अनुज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार उम्र लगभग 20 बर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा उत्तर प्रदेश–210429 जिन्हें इस बिलेख में आगे स्थाई मुख्य न्यासी /प्रबन्धक कहा गया है।

न्यास का नाम :– **बाल भोजन सेवा ट्रस्ट**

न्यास का प्रधान कार्यालय :– 989 अशोका महोबा रोड पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा उत्तर प्रदेश–210429 IND

कार्य क्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत बर्ष

ट्रस्ट का स्वरूप :– "बाल भोजन सेवा ट्रस्ट" एक "**पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट**" होगा।

मूल्यांकन ट्रस्ट डीड :– 5100/– (पॉच हजार एक सौ रूपया मात्र)

स्टाम्प व्यय :– 1000/– (एक हजार रूपया मात्र)

ई–स्टाम्प संख्या–IN-UP 81298390171091Y जारी दिनांक

मैं कि श्री अनुज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार उम्र लगभग 20 बर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा उत्तर प्रदेश–210429 मिनमुकिर ने कथित इच्छा /हितबन्धु एवं गरीब एवं असहाय बच्चों के भोजन तथा उनकी अशिक्षा व कुरीतियों से प्रेरित होकर मिनमुकिरान एक

Anuj

ट्रस्ट की स्थापना धर्म रक्षार्थ एवं बच्चों के हित एवं बच्चों के विकास के क्षेत्र के लिए कर देवें ताकि समाज में फैली कुरितियां इस ट्रस्ट द्वारा श्रेष्ठ कार्य प्रत्येक क्षेत्र में हो सके। न्यास का नाम मिनमुकिरान ने "बाल भोजन सेवा ट्रस्ट" रखा है। जो सर्वसम्मति से कायम किया गया है तथा उक्त ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र 989 अशोका महोबा रोड पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा उत्तर प्रदेश–210429 IND के हितार्थ कार्य एवं सम्पूर्ण भारत बर्ष होगा। ताकि समाज में अच्छा वातावरण व बच्चों को अच्छे एवं पोषण युक्त भोजन एवं उनकी शिक्षा जगत में शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रचार प्रसार हो ताकि बच्चों के उत्थान सम्बन्धी कार्य किये जा सकें। अतएव हम मिनमुकिरान जो इस ट्रस्ट के कमेटी में मुख्य न्यासी/अध्यक्ष के साथ निम्न पदाधिकारीगण का मनोनयन सर्व सम्मति से किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त ट्रस्ट में कम से कम तीन एवं अधिकतम बारह स्थाई सदस्य होंगे जो बहुमत रूप से भारतीय संबैधानिक प्रकिया के तहत कार्य करेंगे।

न्यास का उद्देश्य एवं प्रयोजन :– न्याय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे

1. गरीब जरूरतमंद, बंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों तथा समाज के कमजोर बर्गो को निशुल्क अथवा रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलव्ध कराना।

Anuj

2. विद्यालय भोजन योजना, सामुदायिक रसोई , भोजन वितरण कार्यक्रम एवं अन्य पोषण सम्बन्धी पहल चलाना।

3. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता प्रदान करना जैसे पुस्तकें यूनीफार्म छात्रबृत्ति एवं अध्ययन सामग्री एवं अन्य आवश्यक सहयोग।

4. स्वास्थ्य स्वच्छता , पोषण, जागरूकता एवंज न कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम शिविर एवं गतिविधियां आयोजित करना।

5. गरीब जरूरतमन्द , आपदा पीड़ित, असहाय एवं बंचित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य सामाजिक कल्याण एवं जनहितकारी गतिविधियां संचालित करना।

6. ट्रस्ट अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र/ राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन गैर सरकारी संस्थाओं(एन0जी0ओ0), कार्पोरेट संस्थाओं , शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं अन्य रेड संस्थाओं के साथ सहयोग समन्वय एवं सहभागिता कर सकेगा।

7. ट्रस्ट अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों संस्थाओं कम्पनियों कार्पोरेट निकायों सरकारी विभागों अर्ध सरकारी निकायों , सी0एस0आर0फण्ड, अनुदान, दान, सहायता राशि, योगदान एवं अन्य बैध श्रोतों से धन /सामग्री/सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

Anuj

8. ट्रस्ट के लाभ सभी व्यक्तियों को जाति , धर्म, लिंग, समुदाय,वर्ग या पंथ के भेद भाव के बिना समान रूप से उपलब्ध होंगे।

9. ट्रस्ट समाज के कल्याण , बाल पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्थान एवं जनहित के लिए अन्य बैध धर्माथ कार्य भी कर सकेंगां

ट्रस्ट के सभी कार्य शिक्षार्थ , सहयोगार्थ एवं बच्चों को सही पोषण प्रदान करने के लिए होंगे मैं मिनमुकिर अनुज कुमार अग्रवाल " बाल भोजन सेवा ट्रस्ट" का अध्यक्ष/ मुख्य न्यासी / प्रबन्धक व आजीवन सदस्य रहूँगा जब तक कि किसी रोग , या मृत्यु इस न्याय के कार्य निर्वहन में असमर्थ न हो जाऊँ या न्यास के विरूद्ध गतिविधि में ब्रिप्त न होऊँ या भारतीय न्याय संहिता से दण्डित सजायाफ्ता होने पर मुख्य न्यासी की सदस्यता समाप्त हो जावेगी। इस सेवा के कार्य निष्पादन में मुझे सहायता सहयोग, सलाह देने के लिए जो न्यासी मनोनीत कर नियुक्त किये गये हैं उन्हें इस न्यास पत्रक द्वारा इस न्यास का स्थाई न्यासी घोषित एवं नियुक्त किया जाता है और यह तब तक स्थाई न्यासी रहेंगे तब तक कि किसी रोग, मृत्यु या इस न्यास के कार्य निर्वाह में असमर्थ न हो जायेगे या सहयोग देना स्वेच्छा से बन्द न कर दें स्थाई न्यासी के नाम पिता/पति का नाम पता पद निम्नलिखित हैं :-

Anuj

कम सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता/मोवाइल नं0	पेशा	पद
1	अनुज कुमार अग्रवाल	श्री अशोक कुमार	बस स्टैण्ड के पास पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा उत्तर प्रदेश–210429 मो0नं0– 8737807423	समाज सेवी	प्रमुख न्यासी/ अध्यक्ष/प्रबन्धक
2.	विजय पालीवाल	राजेन्द्र पालीवाल	पावर हाउस के पास पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा उ0प्र0 मो0नं0– 7570921090	समाज सेवी	महामंत्री/ कोषाध्यक्ष
3.	नीलेश कुमार	बृजेन्द्र कुमार	372 धनौरी, जिला हमीरपुर उ0प्र0 मो0नं0–9695248360	समाज सेवी	उपाध्यक्ष

इस प्रकार से बाल भोजन सेवा ट्रस्ट में उक्त स्थाई सदस्य होंगे। उपर्युक्त सभी संस्थापक न्यासी होंगे जो इस न्यास में स्थाई न्यासी रहेंगे। लेकिन मुख्य न्यासी/अध्यक्ष/ प्रबन्धक व महामंत्री/ कोषाध्यक्ष की सहमति पर कभी भी किसी भी पदाधिकारी एवं सदस्य को हटाया जा सकता है। उपरोक्त स्थाई न्यासियों के अलावा विशेष न्यासियों को भी सम्मलित किया जायेगा तथा उन्हें जब चाहे हटाकर उनके स्थान पर नये विशेष न्यासी शामिल किये जा सकेंगे ऐसे विशेष

Anuj

न्यासियों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। ऐसे विशेष न्यासियों की नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार सर्वसम्मति से केबल अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी को होगा। बाल भोजन सेवा ट्रस्ट" के उद्देश्यों व प्रयोजकों की पूर्ति हेतु उसके विभिन्य कार्यों के संचालन व प्रबन्धन हेतु तथा दैनिक कार्यों की व्यवस्था हेतु जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी अध्यक्ष / मुख्य न्यासी / प्रबन्धक व महामंत्री / कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से कोई दो पदाधिकारी अथवा तीनों (जिसमें अध्यक्ष अनिवार्य) होगा पदाधिकारियों की संख्या भविष्य में न बढायी जायेगी न कम की जायेगी।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति - इस न्यास पत्रक द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अध्यक्ष/ प्रबन्धक, महामंत्री/ कोषाध्यक्ष , उपाध्यक्ष अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे। इनमें से किसी की मृत्यु हो जाने, त्याग पत्र देने या किसी गंम्भीर रोग से ग्रसित होकर असमर्थ हो जाने पर उसे अपने स्थान पर अपने जीवन काल में किसी अपने योग्य वारिस व्यक्ति को न्यासी मनोनीत / नामित करने का अधिकार होगा। मनोनीत / नामित न्यासी रिक्त पद ग्रहण कर लेगा, यदि किसी न्यासी ने ऐसा नही किया, तो शेष बचे न्यासीगण सर्वसम्मत व बहुमत के निर्णय से अपने में से किसी भी न्यासी को

Anuj

उक्त रिक्त पदों पर पदाधिकारी नियुक्त करेगें। प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष की मृत्यु के बाद इस न्यास के अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष के योग्य जेष्ठ पुत्र होगा यदि वह उपरोक्त पद ग्रहण करने मे असमर्थता व्यक्ति करता है तो अध्यक्ष के शेष वारिसानों की सहमति पर किसी वारिसान या अन्य व्यक्ति को आजीवन न्यासी सदस्य व पूर्व अध्यक्ष के वारिसानों के बहुमत के निर्णय से रिक्त पद को पूर्ण किया जायेगा एवं यही प्रक्रिया अन्य पद प्रबन्धक, महामंत्री, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पर भी लागू होगी।

ट्रस्ट के स्थाई न्यासीगणों की नियुक्ति - इस न्यास पत्रक द्वारा नियुक्त सभी न्यासीगण इस न्यास के स्थायी न्यासी होगें। उन्हे अपने जीवन काल में अपने स्थान पर न्यासी नामित/मनोनीत करने का अधिकार होगा, लेकिन वे अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को अपने स्थान पर नामित / मनोनीत नही कर सुकेंगे। यदि न्यासीगण चाहे तो मृतक न्यासी के परिवार के किसी योग्य व्यक्ति का सर्वसम्मत बहुमत से प्रस्ताव पास कर नियुक्त भविष्य में कर सकेंगे। यदि न्यासी के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो शेष बचे न्यासीगण अपने परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को सर्वसम्मत या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर न्यासी नियुक्त करेगें। नवनियुक्त न्यासी के लिए आवश्यक होगा कि ट्रस्ट के कोर्यो, प्रयोजनों व उद्देशों की जानकारी रखता हो एवं पूर्ति के लिए हितकारी हो।

Anuj

ट्रस्ट के विशेष ट्रस्टीगण की नियुक्ति - इस न्यास पत्रक में अधिक से अधिक ग्यारह विशेष न्यासीगणों की नियुक्ति का अधिकार ट्रस्ट के स्थाई संकायों की सर्वसम्मत से अध्यक्ष एवं महामंत्री को होगां। जिनका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। ऐसे किसी विशेष ट्रस्टी को पुनर्नियुक्ति का अधिकार बैठक बुलाकर सर्वसम्मत से अध्यक्ष व महामंत्री को ही होगा।

ट्रस्ट मे कार्यकर्ता / सामान्य सदस्यगण की नियुक्ति - इस न्यास पत्रक में कार्य करने के इक्छुक व्यक्ति न्यास में कार्य करने हेतु न्यास कोष में सामान्य सदस्य के रूप शुल्क जमा कर सदस्यता ग्रहण कर सकते इनको नियुक्ति करने का अधिकर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं महामंत्री को होगा। जिनकी सदस्यता शुल्क निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष व महामंत्री को ही होगा एवं नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी जो कभी भी बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है।

ट्रस्ट, के न्यासीगण की सदस्यता समाप्ति - इस न्यास पत्रक के न्यासीगण की सदस्यता समाप्त हो जावेगी-उनके त्याग पत्र देने पर, मुत्यु पर, ट्रस्ट के हित के प्रतिकूल कार्य करने पर, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित होने पर।

Anuj

ट्रस्ट की बैठक-

(1) ट्रस्ट की बैठक वर्ष में दो बार अवश्यक होगी जो ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय पर होगी या इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी होगी, जहाँ ट्रस्टीगण निश्चय करें। बैठक की लिखित सूचना अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा एक सप्ताह पूर्व सभी न्यासीगण को उचित माध्यम जो उपलब्ध व उपयुक्त हो जायेगी।

(2) न्यास की वार्षिक बैठक में वर्ष भर का ट्रस्ट का आय व्यय का लेखा-जोखा प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट का बजट बनाकर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं ट्रस्टियों से पास करायेगा जायेगा।

(3) न्यास के आय व्यय का लेखा-जोखा व बजट को देखने का अधिकार सभी न्यासीगण को होगा।

(4) न्यास की बैठक में उपस्थित सभी स्थायी न्यासीगण के सर्वसम्मत या बहुमत से सभी निर्णय किये जायेगें, जो सर्वमान्य होगे। मत विभाजन की स्थिति में प्रमुख न्यासी / अध्यक्ष को विशेष मत देने का अधिकार होगा तथा वही निर्णायक होगें।

(5) न्यास की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त यदि किसी आकस्मिक बैठक को भी अध्यक्ष की अनुमति से महामंत्री आहूत करेगा जिसमें दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख होगा।

Anuj

21

(6) न्यास की वार्षिक बैठक में सभी न्यासीगण का आना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में वह अपने परिवार के सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में भेज सकता है लेकिन यह केवल दो बैठक तक ही होगा।

(7) किसी न्यासी या न्यास के पदाधिकारी की मृत्यु पर या अन्य परिस्थिति में उनका स्थान रिक्त होने पर न्यास की आकस्मिक बैठक कर नये स्थायी न्यासी व पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

इस न्यास पत्रक द्वारा नियुक्त न्यासीगण तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त भविष्य में जो स्थायी न्यासीगण व पदाधिकारी नियुक्त होगें व अपने पद पर आजीवन बने रहेगें, जब तक उपयुक्त कारणों से उनकी न्यास की सदस्यता समाप्त न हो जाये।

ट्रस्ट के संस्थापक / अध्यक्ष का अधिकार व कर्तव्य- संस्थापक / मुख्य न्यासी / अध्यक्ष/प्रबन्धक न्यास के सभी कार्यो का पूर्ण नियत्रण व संचालन का अधिकारी होगा, जिसके आदेशों का पालन सभी पदाधिकारियों को व न्यासीगण को मान्य होगा अध्यक्ष न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से महामंत्री न्यास की वार्षिक बैठक या अन्य बैठकों को आहूत करेगें। अध्यक्ष को न्यास की बैठको में मत विभाजन समान मत की स्थिति में अपना विशेष मत देने का अधिकार होगा जो

Anuj

23

सर्वमान्य होगा। यादि अध्यक्ष द्वारा कोई न्यास के उददेश्य के विपरीत या अहित में कोई कार्य किया जाता है बहुमत के साथ अध्यक्ष को न्यास के अध्यक्ष पद से निष्काषित कर (लेकिन आजीवन सदस्यता बनी रहेगी) नये अध्यक्ष का सर्व बहुमत से चयनित किया जायेगा ।

ट्रस्ट के महामंत्री/कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य - महामंत्री/कोषाध्यक्ष न्यास द्वारा अपनी बैठकों के लिए सभी निर्णयों का क्रियावन्यन करेगा। न्यास के अभिलेखों को तैयार करेगा तथा उनका रख रखाव करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के कार्यो व व्यवस्थाओ पर निगरानी रखेगा। न्यास की बैठको में लिये गये निर्णयों तथा अध्यक्ष के आदेशों निर्देशों का क्रियावन्यन व परिपालन करेगें। अध्यक्ष की अनुमति से सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालयो, न्यायलयों के कार्यों के करने का अधिकार होगा। एवं अध्यक्ष की अनुमति से संस्था के वे सभी कार्य जो जरूरी व आवश्यक हो उनको करना। कोषाध्यक्ष प्रबन्धक के साथ सम्पूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करेगा तथा उससे न्यास के अध्यक्ष / पदाधिकारियों व न्यासीगण को अवगत करायेगा। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से न्यास के खातों में स्टेटमेंट अकाउंट प्राप्त करेंगे न्यास की वित्तीय विधि अभिरक्षा करेंगे तथा देयको व वित्तीय अभिरक्षा हेतु सी०ए० / अधिवक्ता नियुक्त करना एवं रिपोर्ट लेना।

Anuj

25

कर्मचारी रखने व हटाने का अधिकार - न्यासीगण को अपने न्यास के विभिन्न उद्देशों / परियोजनों व कार्यों के सम्पादन / संचालन के लिए अपने द्वारा संचालित में कर्मचारियों को रखने व कार्यमुक्त करने का अधिकार प्रमुख न्यासी / अध्यक्ष को होगा।

न्यास की सम्पत्ति का रख-रखाव-

(1) न्यास का खाता किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खोला जायेगा जो न्यास के अध्यक्ष व प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त या किन्ही दो पदाधिकारियो के हस्ताक्षरों से संचालित होगा जिसमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(2) किसी भी दशा में न्यास की किसी भी सम्पत्ति को किसी न्यासी या न्यास के किसी पदाधिकारी को अपने पक्ष में या निजी नाम से रखने या कोई धनराशि उक्त लोगो द्वारा अपने स्वयं के नाम से जमा करने का अधिकार न होगा।

(3) न्यास के पास 5,100/- रूपया के अलावा कोई भी चल अचल संपत्ति नही है न्यास का कार्यालय भी न्यास की सम्पत्ति नही है। न्यास के गठन के समय कोई भी चल व अचल सम्पत्ति नहीं दी जा रही है।

न्यासी की आय एवं प्राप्तियों का साधन - ट्रस्ट की आय निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होगी :-

Anuj

1. संस्थापक / न्यासियों द्वारा प्रदत्त प्रारम्भिक अंशदान।

2. सामान्य जनता, दानदाताओं एवं समाजसेवियों से प्राप्त स्वैच्छिक दान।

3. व्यक्तियों, संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कंपनियों एवं कॉर्पोरेट संस्थाओं से प्राप्त दान / सहयोग राशि।

4. सरकारी विभागों, अर्द्ध-सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों तथा अन्य वैधानिक संस्थाओं से प्राप्त अनुदान / सहायता राशि।

5. विभिन्न कंपनियों के CSR (Corporate Social Responsibility) फंड / कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से प्राप्त सहयोग।

6. देश के भीतर कार्यरत ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, धार्मिक / सामाजिक संस्थाओं से प्राप्त अनुदान, सहयोग एवं सहायता।

7. ट्रस्ट द्वारा आयोजित सामाजिक, शैक्षिक, पोषण, स्वास्थ्य एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु प्राप्त सहयोग, प्रायोजन एवं योगदान।

8. भोजन सामग्री, वस्त्र, पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री, औषधि, उपकरण एवं अन्य वस्तुओं के रूप में प्राप्त वस्तुगत दान (In-kind donation)।

9. ट्रस्ट की वैधानिक एवं धर्मार्थ गतिविधियों से प्राप्त अन्य वैध आय।

Anuj

29

10. बैंक में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज अथवा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैध निवेशों से प्राप्त आय।

न्यास अपने व्यापार से प्राप्त धनराशि को अपनी विशेष निधियों रखने का अधिकार होगा। न्यास को प्राप्त सनी धनराशि न्यास की सम्पत्ति होगी उपरोक्त के अलावा किसी बैंक वित्तीय संस्था या अन्य से आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लिया जा सकेगा लेकिन यह फैसला सर्व सम्मति से स्थाई न्यासी करेंगे लेकिन कोरम न होने या मतभेद / विवाद होने पर मुख्यतः अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

न्यास की सरप्लास निधियों का निवेश - न्यास के सरप्लस निधियों का निवेश बैंक डिपाजिट बॉण्डों तथा अन्य प्रतिभूतियों में आवश्यकता पड़ने पर बदलाव करने का अधिकार अध्यक्ष एवं महामंत्री/कोषाध्यक्ष को होगा तथा न्यास की दूसरी संस्थाओं या व्यक्ति विशेष को ऋण देने का भी अधिकार होगा।

न्यास की नियमावली में संशोधन - न्यासीगण आवश्यकता पड़ने पर इस न्यास-पत्र में संशोधन कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा

जिससे ट्रस्ट का सार्वजनिक धर्मार्थ स्वरूप, इसके मूल उद्देश्य, गैर-लाभकारी प्रकृति या आयकर अधिनियम के प्रावधान प्रभावित हों।

न्यास की संरचना निधि - इस न्यास पत्रक का अध्यक्ष व स्थाई न्यासीगण द्वारा न्यास की निधि के सुजोत 5,100/- (पाँच हजार एक सौ रूपया) सहयोग प्रदान कर दिया है जो न्यास की स्थायी निधि की संरचना होती है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति में भारतीय न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू है होगें।

आय का उपयोग (Application of Income) - ट्रस्ट की समस्त आय, दान, अनुदान, अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग की जाएंगी। ट्रस्ट की आय अथवा लाभ का कोई भाग किसी ट्रस्टी, संस्थापक या सदस्य में वितरित नहीं किया जाएगा।

निवेश प्रावधान (Investment Clause)- ट्रस्ट की निधियों का निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

व्यक्तिगत लाभ निषेध (Non-Benefit Clause) - कोई भी ट्रस्टी, संस्थापक या उससे संबंधित व्यक्ति ट्रस्ट की आय, संपत्ति या संसाधनों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करेगा, सिवाय वैधानिक एवं वास्तविक प्रशासनिक/सेवामूलक व्ययों की प्रतिपूर्ति के।

Anuj

33

लेखा एवं लेखा परीक्षण (Accounts & Audit) - ट्रस्ट अपने आय-व्यय, दान, अनुदान एवं अन्य लेन-देन का नियमित लेखा-जोखा रखेगा तथा आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण (Audit) कराया जाएगा।

बैंक खाता संचालन - ट्रस्ट के नाम से बैंक खाता खोला जाएगा, जिसका संचालन न्यासी मंडल के प्रस्ताव के अनुसार अधिकृत न्यासी/न्यासियों द्वारा किया जाएगा।

लाभार्थियों में भेदभाव निषेध - ट्रस्ट की सेवाएँ एवं लाभ किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, समुदाय या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना उपलब्ध कराए जाएंगे।

विघटन / समापन (Dissolution Clause) - यदि किसी कारणवश ट्रस्ट का संचालन बंद किया जाता है या ट्रस्ट विघटित होता है, तो ट्रस्ट की समस्त शेष संपत्ति, धनराशि एवं परिसंपत्तियाँ किसी अन्य समान उद्देश्यों वाले पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट / संस्था को हस्तांतरित की जाएंगी। इन्हें किसी भी ट्रस्टी, संस्थापक या निजी व्यक्ति में वितरित नहीं किया जाएगा।

Anuj

35

प्रारम्भिक अंशदान **(Declaration / Initial Contribution)** - संस्थापक द्वारा ट्रस्ट की स्थापना हेतु प्रारंभिक अंशदान राशि रु. 51,00/- (रुपये पॉच हजार एक सौ रूपये मात्र) ट्रस्ट को प्रदान की जाती है।

मैंने इस न्यास पत्रक में वर्णित उपयुक्त सभी व्यवस्थाओं / विधियों को भली प्रकार सोच समझकर स्वस्थ्य चित्त व स्वतंत्र मन बुद्धि से आरोग्यता की स्थिति में रहकर इस न्यास का गठन किया है जिसका हर प्रकार से परिपालन सुनिश्चित करना ही इस न्यास का प्रमुख कार्य व उद्देश्य होगा, अतः मेरे अनुज कुमार अग्रवाल न्यासी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा इस पत्रक को दिनांक 30.03.2026 को निष्पादित किया गया कि प्रमाण रहे और भविष्य में काम आवे। न्यास के गठन के समय कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं दी जा रही है तथा स्वयं न्यास की सम्पत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी / अध्यक्ष / प्रबन्धक

Anuj

37

गवाह-1

सौरभ

सौरभ राजपूत पुत्र श्री देवेन्द्र उर्फ चतुर सिंह निवासी गायत्री मुहाल पनवाड़ी
परगना व तहसील कुलपहाड़
जिला महोबा
मो0नं0- [redacted]
आधारकार्ड संख्या XXXXXXXX5972

गवाह-2

मो० फहीम खान

मो0 फहीम खान पुत्र अकबर खान
निवासी लोधीपुरा, पनवाड़ी
परगना व तहसील कुलपहाड़
जिला महोबा
मो0नं0- [redacted]
आधारकार्ड संख्या XXXXXXXX5882

टाईप एण्ड ड्राफ्टिंग लेखक

शरद रावत एडवोकेट
कुलपहाड़
रजि0सं0 01659/19
मो0नं0– 8009165025

30/03/2026

शरद रावत
एडवोकेट
पंजी0सं0-UP 01659/19 C.O.P. No.-198025
सिविल कोर्ट/तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा
Mob.- 8009165025

तारीख तहरीर– 30/03/2026

Anuj